पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-34/2024 दिनांक- 31.01.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना निजामाबाद

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 28.01.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त राम अनुज पुत्र स्व0 शिवपूजन निवासी रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने वादिनी घर में घुसकर वादिनी की पूत्री के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0042/24 धारा-376,506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 31.01.24 को उ0नि0 कैलाश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राम अनुज पुत्र स्व0 शिवपूजन निवासी रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को रानी की सराय चेकपोस्ट से समय करीब 12.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 0045/24 धारा 376 ,506 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- राम अनुज पुत्र स्व0 शिवपूजन निवासी रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम- 1.उ0नि0 कैलाश सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अभियुक्त शाहकमर व इसके 03 सदस्यों को आपराधिक गैंग के रूप में किया सूचीबद्ध

दिनांक- 31.01.2024 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** द्वारा **अभियुक्त शाहकमर पुत्र हाजी सुहैल अहमद निवासी बनारपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष** जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर **"सूचीबद्ध" (आपराधिक गैंग)** किया गया है। इसका कोड नं0- **"डी- 221"** होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1. अमित सोनकर उर्फ मुलायम पुत्र राजेन्द्र सोनकर निवासी हनुमानगढी लालगंज थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष।
2. आजाद उर्फ अयाज पुत्र हसीब उर्फ हसीबुल्लाह निवासी बनारपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष।
3. तामिल उर्फ कामिल पुत्र मो0 नसीम निवासी बनारपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अभियुक्त अब्दुल हलीम व इसके 06 सदस्यों को आपराधिक गैंग के रूप में किया सूचीबद्ध

दिनांक- 31.01.2024 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** द्वारा **अभियुक्त अब्दुल हलीम पुत्र अतीक अहमद निवासी मंजीरपट्टी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष** जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए हवाला कारोबार जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर **"सूचीबद्ध" (आपराधिक गैंग)** किया गया है। इसका कोड नं0- **"डी- 222"** होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

1- बेलाल अकबर पुत्र डॉ० जियाउद्दीन निवासी राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र 33 वर्ष।
2- मो० सैफ पुत्र परवेज अहमद निवासी सिद्दकी मुहल्ला कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र 23 वर्ष।
3-गुफरान अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी हाजीपुर कुदरत थाना पवई, जनपद आजमगढ़, उम्र 36 वर्ष।
4- अहमद पुत्र अशहद निवासी हाजीपुर कुदरत थाना पवई, जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष।
5-जितेन्द्र कुमार पुत्र हरिहर प्रसाद निवासी ओहदीपुर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र 38 वर्ष।
6- प्रदीप प्रजापति पुत्र सोचन प्रजापति निवासी रामराय का पुरा थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र 25 वर्ष।

प्रेस नोट

आज दिनांक 31.01.2024 को निदेशक, मुख्यालय महिला एंव बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं बन्धुआ मजदूर से लोगों को मुक्त कराने का अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में एवं नोडल अधिकारी एएचटीयू अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ के पर्यवेक्षण में थाना एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकंग यूनिट व श्रम विभाग की संयुक्त टीम व जनविकास संस्थान द्वारा जनपद के थाना सरायमीर, पवई तथा के विभिन्न प्रतिष्ठानों, मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, ब्रेकरी, ऑटो मोबाइल की दुकानों , गैराजों पर छापा मारा गया। उक्त अभियान में कुल 14 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। मौके पर मुक्त कराये गये बालश्रमिकों को उनके परिजनों की सुपुर्दगी में दिया गया तथा हिदायत दी गयी कि बच्चों से भविष्य मे बाल श्रम न कराये। सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों के विरुद्ध अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में श्रमविभाग द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी की गई। संयुक्त टीम द्वारा दुकानदारों/ जनता के लोगों को बालश्रम न कराने पर जोर दिया गया तथा सर्वाजनिक स्थानों/ बर्तन की दुकानों मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट, ब्रेकरी, आटो मोबाइल की दुकान , गैराज आदि स्थानों पर बालश्रम न कराने से सम्बन्धित पोस्टर चस्पा कर जागरुक किया गया।

उक्त बालश्रम उन्मूलन अभियान में सम्मिलित अधिकारी कर्मचारीगण-

1. शशिकान्त पाण्डेय, उप श्रमायुक्त, आजमगढ़।
2. विशाल कुमार, उप श्रमायुक्त, आजमगढ़।
3. उ0नि0 विजय नारायण पाण्डेय, थाना एएचटीयू आजमगढ़।
4. आ0 आशीष प्रताप सिंह, थाना एएचटीयू आजमगढ़।
5. म0आ0 सुप्रिया पाल थाना एएचटीयू आजमगढ़।
6. हरिकेश विश्वकर्मा, जनविकास संस्थान आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज

किशोरी से मारपीट व गाली गलौज करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 29.01.2024 वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त मैनुद्दीन पुत्र जब्बार निवासी गोरिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष ने वादिनी मुकदमा को स्कूल से घर जाते समय रास्ते मे गाली गलौज करते हुये मारापीटा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/2024 धारा 323,504,506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 31.01.2024 को उ0नि0 श्यामनाथ राम मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मैनुद्दीन पुत्र जब्बार निवासी गोरिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को वादिनी मुकदमा के घर पर मुकदमा लिखवाने की बात को लेकर कहासूनी के दौरान समय करीब समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता- मैनुद्दीन पुत्र जब्बार निवासी गोरिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 28/2024 धारा भादवि. व 7/8 पाक्सो एक्ट 323/504/506/354 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 167/20 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्यामनाथ राम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 अतुल सिंह यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 संदीप जायसवाल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।